# राजस्थान सरकार
## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित / डीपीसी / एसीआर / 2019 / 1376 दिनांक 05/4/19

**आदेश**

विभाग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज ई–ऑफिस के माध्यम से ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नियंत्रण अधिकारियों को भी आदेशित किया जाता है कि आपके अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त चिकित्सकों के वर्ष 2018–19 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज ई–ऑफिस के माध्यम से अविलम्ब ऑनलाईन भरवाया सुनिश्चित करें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन नहीं किये जाने के अभाव में डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति के लाभ से वंचित होने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी एवं चिकित्सक स्वयं की होगी। वर्ष 2018–19 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफलाईन भरकर भिजवाये गये है, तो वह भी आनलाईन ही भरे जाने है, भविष्य में ऑफलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशालय में स्वीकार नहीं किये जावेगे।

**पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।**

(डॉ. वी.के. माथुर)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित / डीपीसी / एसीआर / 2019 / 1376 दिनांक 05/4/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना वर्ष 2018–19 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अविलम्ब राज ई–ऑफिस के माध्यम से ऑनलाईन भरना सुनिश्चित करें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन नहीं करने के कारण परिलाभों से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर